रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2404] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 14, 2013/आश्विन 22, 1935
No. 2404] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2013/ASVINA 22, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2013

विषय: इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद परीक्षण/ गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन की योजना

1. उद्देश्य :

का.आ. 3097(अ).- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), भारत सरकार, ने भारतीय सुरक्षा मानकों के अनुपालन के आधार पर अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए " इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तु (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण) आदेश, 2012 " अधिसूचित किया है। इस प्रयास की सफलता के लिए उपलब्ध परीक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ करने और देश में ऐसी परीक्षण प्रयोगशालाओं के नेटवर्क का संदर्भ में अधिसूचित मानकों के अनुपालन का मूल्यांकन कर सके । राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति, 2012 की परिकल्पना के अनुसार देश में विकास को सुदृढ़ करने एवं मानकों को अनिवार्य बनाने के लिए भी इसकी आवश्यकता है।

इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/गुणवत्ता नियंत्रण का संवर्धन की यह योजना केंद्र/राज्य/शैक्षणिक संस्थानों द्वारा परीक्षण सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है, जो स्वतंत्र परीक्षण सुविधाओं, जिनका प्रयोग "इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तु (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण) आदेश, 2012" के अंतर्गत वस्तुओं के मूल्यांकन हेतु किया जा सकता है की स्थापना द्वारा इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं।

योजना के अन्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- आरंभिक पंजीयन/निगरानी की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए सुरक्षा मानदंडों के बेहतर अनुपालन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से पूरे देश में परीक्षण सुविधाओं की स्थापना करना।
- समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यथानिर्धारित दरों पर डीईआईटीवाई और अन्य पणधारकों से प्राप्त निगरानी नमूनों का परीक्षण करना।
- निर्यातकों को उनके उत्पादों के परीक्षण में सहायता करना ।

इस प्रकार तैयार की गयी योजना और विकसित अवसरंचना से अपेक्षा की जाती है कि यह घरेलू उद्योगों, निर्यातकों, आयातों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों, मौजूदा शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद मानक तैयार करने वाले निकायों सहित सभी पणधारकों के लिए लाभदायक सिद्ध हो।

2. सहायता की मात्रा और पैटर्न :

I. अनुदान सहायता के लिए यह योजना 15 तक प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्यन के लिए लागू है ।

II. अनुदान सहायता की कुल मात्रा निम्नलिखित सीमाओं के अध्यधीन 150 लाख रुपए (अधिकतम) होगी :

क. प्रयोगशाला उपस्कर की लागत-120 लाख (अधिकतम)

ख. आधारभूत सहयोगी परीक्षण अवसंरचना की लागत – 20 लाख रुपए (अधिकतम)

ग. प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए व्यावसायिक शुल्क/ विशेषज्ञ शुल्क और मान्यता/अभिप्रमाणन/अशंशोधन प्राप्त करने की लागत और परामर्श प्रभार, अनुवर्ती कार्रवाई के साथ-साथ डीईआईटीवाई द्वारा अंतरिम मूल्यांकन की लागत- 10 लाख रुपए

III. केन्द्र/राज्य सरकारें और इनके संगठन/ विश्वविद्यालय (मान्य विश्वविद्यालय सहित) प्रयोगशालाओं के लिए प्रयोगशाला उपस्करों की संपूर्ण लागत के लिए अनुदान सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं । वे आधारभूत सहयोगी परीक्षण अवसंरचना और उपस्कर अवसंरचना से संबद्ध फर्नीचर तथा फिक्चर्स की लागत (भूमि और भवन की लागत को छोड़कर) के 25% लागत के लिए भी पात्र होंगे ।

IV. इसके अलावा केन्द्र/राज्य सरकार और इसके संगठन/विश्वविद्यालय (मान्य विश्वविद्यालय सहित) प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए व्यावसायिक शुल्क/ विशेषज्ञ शुल्क और मान्यता/अभिप्रमाणन/अशंशोधन प्राप्त करने की लागत और परामर्श प्रभार, अनुवर्ती कार्रवाई के साथ-साथ डीईआईटीवाई द्वारा अंतरिम मूल्यांकन की लागत के लिए भी पात्र होंगे ।

V. इस प्रकार सृजित परीक्षण सुविधाओं का जनता द्वारा अभिगम किया जाएगा और किसी भी प्रयोक्ता द्वारा स्वतंत्र ढंग से उत्पादों के परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी ।

VI. आवेदक संगठक को प्राथमिक रूप से इलेक्ट्रीकल/इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के परीक्षण के क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए ।

VII. इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए केवल भारतीय संस्थान ही पात्र हैं ।

3. स्वतंत्र प्रक्रिया

I. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद परीक्षण/गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/ उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता संबंधी प्रस्ताव सीधे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा प्राप्त किए जाएंगे ।

II. वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त सभी प्रस्तावों को तकनीकी दृष्टि से इनकी जांच के लिए डीईआईटीवाई द्वारा गठित तकनीकी जांच समिति (टीएससी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । आवश्यक होने पर आवेदक संगठनों को तकनीकी जांच समिति के समक्ष प्रजेंटेशन देना होगा ।

III. तत्पश्चात तकनीकी दृष्टि से और सभी संदर्भों में पूर्ण आवेदन जिनकी टीएससी द्वारा सिफारिश की गयी है, संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ और अनुमोदन हेतु विधिवत रूप से गठित अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे ।

IV. देश में परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अधिकार प्राप्त समिति अपने विवेकाधिकार पर किसी अरहक प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है; इस बात पर विचार करने के पश्चात कि सृजित की जाने वाली सुविधा का प्रस्ताव ऐसी जगह स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है जहां पर्याप्त अवसंरचना पहले से ही मौजूद है ।

4. आवेदन प्रक्रिया

I. डीईआईटीवाई में आवेदन (विहित प्रपत्र में)

II. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के समर्थन में आवेदन के साथ यथालागू निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:

क. कुल परियोजना लागत (आइटमवार और लागतवार ब्यौरा)

ख. परियोजना लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय साधन

ग. आवर्ती व्यय

घ. भूमि एवं भवन की उपलब्धता की सूचना

ङ. योग्य जनशक्ति का विवरण

च. कार्यान्वयन अनुसूची

छ. परिकल्पित प्रयोगशाला उपकरणों की मदवार एवं लागतवार विवरण जिसमें उद्देश्य/परीक्षण किए जाने वाले मापक इंगित हों

ज. परिकल्पित तकनीकी सिविल कार्यों का मदवार एवं लागतवार विवरण

झ. संगठन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र/दस्तावेज

ञ. अधिमानत: विस्तार शर्त के साथ न्यूनतम 5 वर्षों की वैधता अवधि के लिए स्वामित्व वाली भूमि दस्तावेज/भवन अथवा किराया/पट्टा करार की प्रति (यदि दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में हो तो प्रामाणिक अंग्रेजी अनुवाद) । स्वामित्व भूमि वाले संगठन को वरीयता दी जाएगी ।

ट. 100/- रुपए या इससे अधिक के मूल्य के नान- जूडिशियल पेपर पर नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से नोटरीकृत निष्पादित एक शपथ-पत्र जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि संगठन ने इसी प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग/भारत सरकार के संगठन/एजेंसियों तथा राज्य सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है/आवेदन नहीं किया है या इनसे कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है/आवेदन नहीं किया है या इनसे कोई अनुदान/आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करेंगे ।

ठ. न्यूनतम 100/- रुपए के मूल्य के नान-जूडिशियल पेपर पर शपथ पत्र विधिवत रूप से नोटरीकृत जिसमें निष्ठापूर्वक यह पुष्टि की गई हो कि मांगी गई अनुदान राशि और अनुमोदित राशि के बीच वित्त के तरीकों में अंतर को संगठन द्वारा वहन किया जायेगा ।

ड. न्यूनतम 100/- रुपए के मूल्य के नान-जूडिशियल पेपर पर शपथ पत्र (विधिवत रूप से नोटरीकृत) जिसमें निष्ठापूर्वक यह पुष्टि की गई हो कि वे 3 वर्षों या 300 जाब, जो भी पहले हों, के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा निगरानी के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे ।

ढ. न्यूनतम 100/- रुपए के मूल्य के नान-जूडिशियल पेपर पर शपथ पत्र (विधिवत रूप से नोटरीकृत) जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए यह मंजूर किया गया है।

ण. बैंक/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण यदि कोई है, के स्वीकृति पत्र की एक प्रति।

5. निधियों का मूल्यांकन और जारी करना :

i) केन्द्रीय/राज्य सरकारों तथा इनके संगठनों/ विश्वविद्यालयों (मान्य विश्वविद्यालय सहित) को सहायता अनुदान जारी करने के लिए निम्नलिखित समय सूची अपनाई जायेगी

क. योजना के अंतर्गत कुल अनुदान के 40% पहली किश्त निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जारी की जायेगी :

क. परियोजना अनुमोदन मंजूर किया गया है

ख. भूमि और भवन आवश्यकता को पूरा किया गया है

ख. कुल अनुदान के 40% की दूसरी किश्त निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन जारी की जायेगी :

क. प्रथम किश्त का उपयोग तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर

ख. इस किश्त से खरीदे जाने वाले उपकरण, अवसंरचना या सेवाओं के लिए खरीद आदेश की प्रतियां प्रस्तुत करने पर

ग. सहायता अनुदान की शेष 20% की तीसरी एवं अंतिम किश्त निम्नलिखत शर्तों के अध्यधीन जारी की जायेगी :

क. दूसरी किश्त का उपयोग और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर

ख. परियोजना द्वारा एनएबीएल मान्य/बीआईएस मान्यता द्वारा पूरा होने का प्रमाण देने पर

ii) लाभभोगी संगठन इस मंत्रालय को तब तक आवधिक प्रगति रिपोर्ट (डीईआईटीवाई द्वारा वांछित समय पर) प्रस्तुत करेगा जब तक कि प्रयोगशाला आईएस से एनएबीएल मान्य/मान्यता प्राप्त नहीं कर लेता है।

iii) इस योजना के अंतर्गत कुल सहायता अनुदान-डीईआईटीवाई द्वारा अनुमोदन की तारीख से उपलब्ध होगा।

iv) प्रत्येक परियोजना के लिए कार्यान्वयन समय-सूची लगभग 12 माह होगी (परियोजना को अनुमोदन देने की तारीख से) जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

v) यह योजना इसकी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों या इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने के लिए 15 संगठनों का चयन करने तक, जो भी पहले हो, के लिए आवेदन करने के लिए खुली रहेगी। योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करके जारी करने के आधार पर उन पर विचार किया जाएगा।

6. योजना की समीक्षा

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग योजना की प्रगति की समय-समय पर निगरानी और पुनरीक्षा करेगा और योजना के लिए दिशानिर्देश, प्रपत्र, फार्मेट जारी करेगा और आवधिक समीक्षा करेगा और इसमें संशोधन आदि का प्रस्ताव करेगा, ऐसे दिशानिर्देश, प्रपत्र, फार्मेट तथा विभिन्न समितियों के संविधान आदि से संबंधित जानकारी आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर डीईआईटीवाई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी।

[फा. सं. **W- 46/1/2013-**आईपीएचडब्ल्यू]

अरुण सचदेव, वैज्ञानिक "जी"

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATON TECHNOLOGY
(Department Of Electronics And Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August 2013

Subject: Scheme for setting up / up gradation of Electronic Product Testing / Quality Control Laboratories

1 OBJECTIVES :

S.O.3097(E).—Department of Electronics and Information Technology (DeitY), Government of India,has notified "Electronics and Information Technology Goods (Compulsory Registration) Order, 2012" for compulsory registration of notified electronic goods based on their compliance to Indian Safety Standards. For success of the initiative, there is a need to strengthen the available testing infrastructure and expand the network of test laboratories in the country who could evaluate the compliance of these goods to notified standards. This is also needed to strengthen the cause of development and mandating of standards in the country as envisaged under the National Policy on Electronics, 2012.

This Scheme for setting up / up gradation of quality control / electronic products testing Laboratories is announced to encourage setting up of testing facilities by Central / State / Academic Institutions who are desirous of capturing this opportunity by setting up independent test facilities which could be used for evaluating goods under the "Electronics and Information Technology Goods (Compulsory Registration) Order, 2012".

The other objectives of the scheme include:

- To establish test facilities scattered over the country for evaluating compliance of goods to safety standards for facilitating the process of initial registration/surveillance
- To test the surveillance samples received from DeitY and other stakeholders at rates as decided by DeitY from time to time
- To facilitate exporters to test their products

The scheme and the infrastructure so developed is expected to benefit all stakeholders including domestic industry, exporters, importers, entrepreneurs, small and medium enterprises, existing academic & research institutions, electronic products standards setting bodies.

2 AMOUNT AND PATTERN OF ASSISTANCE:

i) The scheme for grant-in aid is open for setting up / up-gradation of upto 15 labs

ii) The total amount of grant–in–aid would be Rs 150 Lacs (max.),subject to the following ceilings:

a) Cost of laboratory equipment - Rs. 120 Lakhs (max)
b) Cost of basic supporting testing infrastructure - Rs. 20 lakhs (max).
c) Professional fees / Expert fee for setting up / up-gradation of laboratories and cost for obtaining recognition / accreditation/ calibration and consultancy charges thereof, cost for follow up action as well as interim assessments by DeitY - Rs. 10 lakhs.

iii) Central / State Government and its organizations / Universities (including deemed universities) will be eligible for grant-in-aid of entire cost of laboratory equipment required for labs. They would also be eligible for 25% of the cost of basic supporting testing infrastructure (excluding the land and building cost) and furniture and the fixtures associated with the equipment infrastructure.

iv) In addition, Central / State Government and its organizations / Universities (including deemed universities would be eligible for Professional fees / Expert fee for setting up of laboratories and cost for obtaining recognition/ accreditation/ calibration and consultancy charges thereof, cost for follow up action as well as interim assessments by DeitY.

v) The testing facilities so created shall be accessible to public and available for testing products in an independent manner to any user.

vi) The applicant organisation should preferably have experience in the area of testing of electrical /electronic products.

vii) Only Indian Institutions are eligible to apply under this scheme.

3. Implementation Procedure:

i) Proposals for financial assistance for setting up/ up-gradation of electronic products testing / quality control laboratories shall be received directly by Department of Electronics and Information Technology (DeitY).

ii) All the proposals received for financial assistance will be placed before Techno Scrutiny Committee (TSC) constituted by DeitY for examining such proposals from technical angle. Applicant organizations will make presentations before TSC, if necessary. The organizations will have to furnish information / documents as sought by TSC.

iii) Thereafter, the proposals recommended by TSC from technical angle and complete in all respects will be placed before the duly constituted empowered committee for consideration and approval.

iv) Empowered Committee, in view of the target to establish facilities across the country, may at its discretion reject a qualifying proposal; on the consideration that facility being created is at a location where adequate infrastructure already exists.

4. Application Procedure:

i) Application in the DeitY(prescribed format)

ii) The following documents, as applicable, shall be provided with the application in support of the Detailed Project Report:
   (a) The total project cost (item-wise and cost-wise break-up)
   (b) Means of finance to meet the project cost
   (c) Recurring expenditure
   (d) Information on availability of land and building
   (e) Details of qualified manpower
   (f) Implementation schedule
   (g) Item wise and cost wise details of lab equipments envisaged indicating the purpose / parameters being tested
   (h) Item wise and cost wise details of Technical civil works envisaged
   (i) Certificate / Documents establishing registration of the organization
   (j) Copy of land document of owned land / building or rent / lease agreement with a validity period minimum 05 years, preferably with an extension clause (notarized English version, in case document is in regional language). Organisations with owned land would be preferred.
   (k) An affidavit duly executed on non-judicial stamp paper of Rs.100/- or more duly notarized by Notary Public affirmingthat the organization has not obtained / applied for or will not obtain any grant / subsidy from any Ministry / Department of Central Govt / GOI organization / agencies and State Govt for the same purpose.
   (l) An undertaking (duly notarized) on non-judicial stamp paper, minimum value Rs.100/-solemnly affirming that the gap in the means of finance between grant amount sought and approved shall be borne by the organization.
   (m) An undertaking (duly notarized) on non-judicial stamp paper, minimum value Rs.100/-solemnly affirming that they would provide testing facilities at Government specified rates for the purpose of surveillance by Department of Electronics and Information Technology (DeitY) for 3 years or 300 Jobs, whichever is earlier.
   (n) An undertaking (duly notarized) on non-judicial stamp paper, minimum value Rs.100/-solemnly affirming that the grant will be utilized for the purpose it is sanctioned.
   (o) A copy of sanction letter of term loan from bank / financial institutions, if any

5. Appraisal and Release of Funds:

i) The following schedule will be adopted for release of grant–in-aid to the Central / State Government and its organizations / Universities (including deemed universities)
   A. 1st instalment of 40% of the total grant under the scheme will be released subject to the condition that
      a) Project approval has been granted
      b) The land and building requirement have been fulfilled
   B. The 2nd instalment of 40% of the total grant would be released subject to the condition that:
      a) Utilisation and submission of utilization certificate of the first instalment
      b) Furnishing of Copies of Purchase order for the equipment, infrastructure or services intended to be procured with this instalment
   C. 3rd and final instalment of remaining 20% of the grant in assistance will be released subject to the condition that :
      a) Utilisation and submission of utilization certificate of the second instalment
      b) The project has achieved completion by virtue of obtaining NABL Accreditation / BIS Recognition

ii) The beneficiary organization shall submit periodical progress report (at frequency desired by DeitY) to this Ministry till the laboratory achieves NABL accreditation / recognition from BIS

iii) The total grant–in–aid under the Scheme would be available from the date of approvalof project by DeitY

iv) The implementation schedule for each project would be about 12 months (from the date of the approval of project) which may be extended by the Competent Authority

v) The Scheme shall be open for applications for three years from the date of its notification or till 15 entities are selected for providing grant under the scheme, whichever is earlier. The applications received under the scheme shall be appraised and considered on an on-going basis

6. Review of Scheme

The Department of Electronics and IT will periodically monitor and review the progress of the scheme and issue guidelines, form, formats, conduct periodic reviews and propose amendments etc. to the scheme. Such guidelines or form, formats and constitution of various committees etc., as needed would be made available on DeitY website from time to time.

[F.No. W- 46/1/2013-IPHW]

Arun Sachdeva, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.